राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

बी–ब्लाक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 288

दिनांक :– 11.08.2017

प्रश्नकर्ता:– श्री जगदीश प्रधान, विधायक

क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के जिन कॉलोनियों में एस.सी./एस.टी./ओबीसी/अल्पसंख्यक वैलफेयर विभाग में वर्ष 2016–17 में 38,500 लाख रुपये खर्च करने की योजना थी,	जी हाँ।
ख	यदि हॉ, तो क्या यह भी सत्य है कि सरकार केवल 7700 लाख रुपये, अर्थात कुल राशि का केवल 20 प्रतिशत ही खर्च कर पाई,	जी नही, वर्ष 2016–17 में राज्य संचालित योजनाओं में 10553.60 लाख रुपये का व्यय किया गया जोकि कुल राशी का 28.53% है।
ग	यदि ऐसा है तो सरकार इस विभाग की किन योजनाओं में पैसा खर्च नहीं कर पाई, और क्यों, पूर्ण जानकारी दें, और	प्रति संलग्न 'क' के अनुसार।
घ	भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?	भविष्य में अल्पव्यय की पुनरावृत्ति रोकने के उपायः– (i) मंत्री परिषद् की स्वीकृति के पश्चात उपरोक्त योजनाओं के अर्न्तगत आने वाले कार्यों की सूची यथोचित रुप से बढा दी गई है। (ii) पूर्व में विभागीय योजना के अर्न्तगत केवल सिंचाई तथा बाढ नियंत्रण विभाग तथा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के द्वारा ही कार्य करने की अनुमति थी वर्तमान में मंत्री परिषद की स्वीकृति के पश्चात उपरोक्त योजना में किसी भी संबधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा कार्य किया जा सकता है। (iii) विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं वर्ष 2016–17 से ई–पोर्टल पर ऑनलाइन की गई है। जिसके कारण अपेक्षा की जाती है कि वित्त वर्ष 2017–18 में आवेदन पत्र आंमत्रित करके छात्रवृत्ति का वितरण समय पर कर दिया जाएगा।

(सचिव)

अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./कल्याण विभाग

संलग्नक 'क'

क्र. सं.	योजना का नाम	बजट	व्यय राशि	अव्ययित राशि
1	अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती सुधारिकरण योजना के अर्न्तगत वित्त वर्ष 2016–17	**50 करोड**	**26.50 करोड**	**23.50 करोड**
2	अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अ0पि0व0/अल्पसंख्यक वर्ग के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं	**29588 लाख**	**8381.17 लाख**	**21206.83 लाख**

<u>कम व्यय के कारण :–</u>

- **अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती सुधारिकरण योजना**
    1. प्रस्तावित कार्यों का उपरोक्त योजना के अर्न्तगत स्वीकृत कार्यों की सुची में न होना।
    2. विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के क्रिर्यान्वयन के लिए संबधित कार्यकारी एजेंसियों के द्वारा अनापति प्रमाण पत्र का प्राप्त न होना।
    3. प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति हेतु वांछित सुचनाओं का प्राप्त न होना।
- **अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अ0पि0व0/अल्पसंख्यक वर्ग के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं** :–
  विभाग द्वारा दिसम्बर 2016 से 22/02/2017 छात्रवृत्ति योजनाओं को लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। कार्य योजना में समय लगने की वजह से वित्तीय वर्ष 2016–17 में निस्तारण नही हो पाया।
- मातृ शिशु सुरक्षा योजना, एनटीनेटल केयर योजनाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दिल्ली सरकार द्वारा तथा डीनोटीफाइड एण्ड नोमेडिक ट्राइब्स योजनाएं भारत सरकार द्वारा वित्तिय वर्ष 2016–17 कार्यान्वित नही हो पाई थी।
- Implementation of prohibition of employment of Manual Scavangers and their rehabilitation Act 2013 scheme के तहत अभी तक संबधित कोई योजना कार्यान्वित नही हो पाई थी।